निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 आषाढ़ 1936 (श0)

(सं0 पटना 598) पटना, बुधवार, 16 जुलाई 2014

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

अधिसूचनाएं

11 जुलाई 2014

सं0 1/प.5–01/2010–792— भारत के संविधान के अनुच्छेद – 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा 'बिहार पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा में भर्ती एवं सेवा शर्त्तों को विनियमित करने के लिए निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :–

बिहार पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा नियमावली, 2014

अध्याय – 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ (1)**– यह नियमावली ''बिहार पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा नियमावली, 2014 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत होगी।

2. **परिभाषा ।– इस नियमावली में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो**

(i) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है, बिहार सरकार;

(ii) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है, बिहार के राज्यपाल;

(iii) ''विभाग'' से अभिप्रेत है, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग;

(iv) ''आयोग'' से अभिप्रेत है, बिहार लोक सेवा आयोग;

(v) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है, बिहार सरकार;

(vi) ''नियंत्री प्राधिकार'' से अभिप्रेत है, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग;

(vii) ''निदेशालय'' से अभिप्रेत है, पुरातत्व निदेशालय एवं संग्रहालय निदेशालय, बिहार;

(viii) ''सेवा'' से अभिप्रेत है, पुरातत्व निदेषालय के अधीन बिहार पुरातत्व सेवा एवं संग्रहालय निदेशालय के अधीन बिहार संग्रहालय सेवा ;

(ix) 'सदस्य' से अभिप्रेत है, बिहार पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा में नियुक्त व्यक्ति;

(x) ''वरीयता सूची'' से अभिप्रेत है, पुरातत्व निदेशालय के पुरातत्व सेवा एवं संग्रहालय निदेशालय के संग्रहालय सेवा के लिए तैयार की जानेवाले वरीयता सूची; तथा

(xi) ''परिवीक्षाधीन पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है, स्थायी पदों के विरुद्ध मूलकोटि में नवनियुक्त प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे, बिहार पुरातत्व सेवा एवं बिहार संग्रहालय सेवा के पदाधिकारी;

(xii) 'सेवा' से अभिप्रेत है बिहार पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा;

(xiii) 'अधीनस्थ सेवा' से अभिप्रेत है बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के नियंत्रणाधीन पुरातत्व निदेशालय एवं संग्रहालय निदेशालय के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए नियुक्त वरीय तकनीकी सहायक/तकनीकी सहायक, दीर्घा सहायक, शोध सहायक, गाईड, मुद्रातत्वविद् (अवर सेवा पदाधिकारी) की सेवा।

3. **सेवा का गठन** (1)– यह सेवा कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन राज्य सेवा होगी।

(2) इस सेवा की विभिन्न कोटि के पद अनुसूची 1 के अनुसार होंगे और उक्त पदों का वेतन वही होगा, जो समय–समय पर सरकार द्वारा अवधारित किया जाए।

(3) राज्य सरकार समय–समय पर इस सेवा की विभिन्न कोटियों के बल एवं पदनाम का निर्धारण राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके कर सकेगी और स्वीकृत पदों के अतिरिक्त इस सेवा में स्थायी/अस्थायी पदों के सृजन/विलोपन की स्वीकृति दे सकेगी।

(4) इस नियमावली के आरंभ की तिथि से अनुसूची में उल्लिखित पदों पर पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारी स्वतः इस सेवा के सदस्य समझे जायेंगे।

अध्याय – 2
भर्त्ती

4. **भर्त्ती का स्रोत** (1)– अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस सेवा में भर्त्ती निम्न प्रकार से की जायेगीः–
   (क) इस नियमावली के अध्याय– 3 के प्रावधानों के अनुसार सीधी भर्त्ती द्वारा।
   (ख) इस नियमावली के अध्याय– 4 के अनुसार प्रोन्नति के द्वारा।

5. **आरक्षण** (1)– सेवा में नियुक्ति एवं प्रोन्नति के लिए, राज्य सरकार द्वारा राज्य सेवाओं के लिए समय–समय पर विहित आरक्षण अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

6. **रिक्तियों का अवधारण एवं आयोग को सूचित करना**–
प्रशासी विभाग प्रत्येक वर्ष 1ली अप्रैल को उस वर्ष में इस सेवा में सीधी नियुक्ति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का संख्या निर्धारित करेगा तथा इस प्रकार निर्धारित रिक्तियों की अधियाचना 30 अप्रैल तक आयोग को देगा। यदि किसी वर्ष में अधियाचना देने या सीधी नियुक्ति द्वारा पद भरने की कार्रवाई नहीं की जाती है, तब भी सीधी नियुक्ति द्वारा भरे जाने वाले पदों की गणना वर्षवार की जाएगी और उसे अगले वर्ष के लिए, पिछले वर्ष की रिक्ति मानते हुए, अग्रगणित किया जायेगा।

अध्याय – 3
सीधी भर्त्ती

7. **सीधी भर्त्ती का स्रोत** (1)– इस सेवा की मूल कोटि के 75 प्रतिशत पद सीधी भर्त्ती से भरे जायेंगे।

8. **सीधी भर्त्ती हेतु अहर्त्ता** (1)– **अभ्यर्थी की आयु** : न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी तथा अधिकतम आयु वही होगी जो राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा, समय–समय पर, अवधारित की जाए।

(2) **अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता– अनिवार्य अर्हताएँ**– प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति/पुरातत्व अथवा प्राचीन भारतीय एवं एशियाई अध्ययन/प्राचीन भारतीय इतिहास एवं कला इतिहास में स्नातकोत्तर की डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा–इन–म्यूजियोलॉजी/पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा–इन–आर्कियोलॉजी में न्यूनतम 55ः अंक के साथ।

9. **चयन का आधार** (1)– इस सेवा के मूल कोटि के पद, आयोग के द्वारा विभाग की अधियाचना के आलोक में परीक्षा/साक्षात्कार के माध्यम से भरे जायेंगे।

10. **परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम** (1)– आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा/साक्षात्कार के विषय एवं पाठ्यक्रम का निर्धारण अनिवार्य एवं वांछित योग्यता के विषयानुसार विभाग द्वारा आयोग के परामर्श से किया जायेगा।

11. **चिकित्सा–परीक्षा** (1)– नियुक्ति के लिए चुने गये प्रत्येक अभ्यर्थी को राज्य सरकार के द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड के समक्ष चिकित्सा परीक्षा के लिए जाना होगा। पदीय कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक निष्पादित करने की दृष्टि से जो अभ्यर्थी अपनी अपेक्षित शारीरिक योग्यता के सम्बन्ध में चिकित्सा बोर्ड को संतुष्ट करने में असफल होगा उसे नियुक्त नहीं किया जायेगा। चिकित्सा बोर्ड स्वयं इसके लिए वस्तुनिष्ठ मानदण्ड निर्धारित करेगा।

12. **आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा** (1)– आयोग लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर एक मेधा सूची तैयार करेगी। ऐसी तैयार की गयी सूची में से आयोग अभ्यर्थियों की उतनी ही संख्या की अनुशंसा राज्य सरकार को करेगा, जितनी संख्या में रिक्तियाँ प्रतिवेदित की गयी हों। किसी

अभ्यर्थी के योगदान न करने की स्थिति में सूची में अन्य अभ्यार्थी का नाम मेधासूची के अनुसार अनुशंसित किया जा सकेगा।

(2) आयोग से प्राप्त मेधा सूची, विभाग में इसकी प्राप्ति की तिथि से आगामी एक वर्ष तक के लिए वैध होगी।

अध्याय – 4
प्रोन्नति द्वारा भर्त्ती

13. प्रोन्नति द्वारा भर्त्ती के स्रोत (1)– कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अधीन संग्रहालय निदेशालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में वरीय तकनीकी सहायक/तकनीकी सहायक, दीर्घा सहायक, गाईड, मुद्रातत्वविद् (अधीनस्थ सेवा पदाधिकारी) के पदों पर नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों से, इस सेवा की मूल कोटि के 25 प्रतिशत पद; बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्य की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति के द्वारा, वरीयता–सह–मेधा के आधार पर, की गयी अनुशंसा के आलोक में, प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

(2) इस नियमावली के प्रवृत होने के प्रभाव से इस सेवा की मूल कोटि से भिन्न उच्चतर पदों पर पूर्व से सीधे नियुक्त इस सेवा के सदस्य, सम्बन्धित पद पर मूलरूप में पदस्थापित समझे जायगे तथा इससे उच्चतर कोटि के पदों को इनके पद बल के अनुसार वरीयता–सह–मेधा के आधार पर इनकी प्रोन्नति से भरा जायेगा।

(3) इस सेवा में अराजपत्रित पदाधिकारी (अधिनस्थ संग्रहालय सेवा एवं अधिनस्थ पुरातत्व सेवा) से मूलकोटि के राजपत्रित पदों पर प्रोन्नति, बिहार लोक सेवा आयोग (कार्य सीमन) विनियमावली के नियम– 7 (स) के प्रावधानों के अनुसार आयोग की अनुशंसा के आधार पर की जायेगी।

14. उच्चतर पदों पर प्रोन्नति (1)– प्रोन्नति की प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि एवं निदेशक, पुरातत्व/निदेशक, संग्रहालय, बिहार के **प्रोन्नति** तृतीय कोटि के पद सेवा के संवर्गीय पद होंगे और इन पदों पर वरीयतम एवं योग्य पदाधिकारी की प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति की जायेगी, जिनके वेतनमान का अवधारण, पद/पदनाम के आधार पर, वित्त विभाग द्वारा अवधारित किया जाएगाः

परन्तु, न्यूनतम कालावधि अथवा योग्य पदाधिकारी के अभाव में, सरकार, निदेशक, पुरातत्व/निदेशक, संग्रहालय, बिहार के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति भी कर सकती है, जिसके लिए योग्यता, अनुभव एवं अन्य पात्रता निम्नवत होंगी :–

(i) प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति/पुरातत्व अथवा प्राचीन भारतीय एवं एशियाई अध्ययन/प्राचीन भारतीय इतिहास एवं कला इतिहास में स्नातकोत्तर की डिग्री, 55ः अंक के साथ।

(ii) संग्रहालय अथवा पुरातत्व कार्यालयों/प्रतिष्ठानों में राजपत्रित संवर्गीय पद पर कार्य करने का न्यूनतम 15 वर्षों का अनुभव।

15. प्रोन्नति हेतु कालावधि (1)– प्रोन्नति के लिए न्यूनतम कालावधि का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत नियमों के अनुसार होंगे। सभी पद संवर्गीय होंगे एवं प्रोन्नति के द्वारा भरे जायेंगे।

16. विभागीय प्रोन्नति समिति (1)– विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति हेतु विचार किया जा सकेगा। विभागीय प्रोन्नति समिति अलग से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत संकल्पों/अनुदेशों के आलोक में गठित की जायेगी। अधिकतम वेतनमान के पदों पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा मनोनीत आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में होगा।

17. वरीयता (1)– सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की आपसी वरीयता का अवधारण आयोग द्वारा तैयार की गयी क्रमानुसार मेधा सूची के आधार पर किया जायेगा।

(2) मूल कोटि (बेसिक ग्रेड) में प्रोन्नति के आधार पर नियुक्त इस सेवा का कोई भी सदस्य उसी वर्ष सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से वरीय होगा भले ही सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया पहले ही पूर्ण हो गई हो।

18. परिवीक्षा अवधि (1)– किसी मौलिक पद के विरुद्ध नियुक्ति प्रत्येक पदाधिकारी पदग्रहण की तिथि से दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेंगे।

(2) सरकार परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति के समय इस सेवा में भर्ती किये गये ऐसे किसी पदाधिकारी की नियुक्ति समाप्त कर सकते हैं, यदि उक्त पदाधिकारी किसी कारण से इस सेवा में नियुक्ति के योग्य न हो।

(3) प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान से परामर्श कर निर्धारित किया जा सकेगा तथा प्रत्येक प्रशिक्षु को विभिन्न विभागों में विहित अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

(4) विभागीय परीक्षा रूल्स फॉर डिपार्टमेन्टल एक्जामिनेशन ऑफ गजेटेड आफिसर्स, 1961 के अनुसार केन्द्रीय परीक्षा समिति (राजस्व पर्षद्) द्वारा ली जायेगी।

(5) सम्पुष्टि, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं प्रोन्नति विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही देय होगी परन्तु इस नियमावली के आरंभ होने की तिथि के पूर्व नियुक्त इस सेवा के सदस्यों पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा।

19. सम्पुष्टि (1)– इस सेवा के पदाधिकारियों की सेवा सम्पुष्टि निम्नलिखित अर्हत्ता पूरी करने के पश्चात् की जा सकेगी :–

(i) सफलतापूर्वक परिवीक्षा अवधि पूरा करना।

(ii) विभाग द्वारा संचालित/अवधारित संस्थानों से प्रषिक्षण प्राप्त करना।

(iii) राजस्व पर्षद् के द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में इस सेवा के लिए अवधारित सभी विषयों (सेवा–नियम और लेखा, एवं हिन्दी) में उत्तीर्णता।

अध्याय –5

सामान्य/प्रकीर्ण

20. कार्यक्षेत्र सम्बन्धी अनुबन्ध (1)– राज्य सरकार को इस सेवा के किसी भी सदस्य को किसी गैर–संवर्गीय पद पर भी, जो उसकी अर्हता के अनुरूप हो, पदस्थापित या प्रतिनियुक्त करने की शक्ति होगी।

21. प्रकीर्ण (1)– इस सेवा के पदाधिकारियों की सेवा शर्तें, वेतन, भत्ते, छुट्टी, पेंशन तथा सेवा से संबंधित अन्य शर्तें बिहार सेवा संहिता एवं बिहार पेंशन नियमावली के आलोक में अवधारित किये जायेंगे।

22. प्रशिक्षण (1)– इस सेवा के सदस्य को प्रशिक्षण के लिए राज्य में अथवा राज्य से बाहर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए भेजा जा सकेगा।

23. अन्य सेवा शर्तें– इस सेवा के लिए अन्य शर्तें तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई, छुट्टी, देय सेवानिवृत्ति लाभ इत्यादि, जो इस नियमावली से आच्छादित नहीं है या जो इस सेवा के लिए अलग से अधिसूचित नहीं है, राज्य सरकार के पदाधिकारियों के लिए प्रासंगिक नियमावली में किये गये सम्बन्धित प्रावधानों से शासित होंगे।

24. कठिनाइयों का निराकरण (1)– इस नियमावली के किसी नियम को लागू करने में आनेवाली किसी कठिनाई को सरकार ऐसी अधिसूचना द्वारा, दूर कर सकेगी जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो।

25. निरसन एवं व्यावृत्ति (1)– बिहार राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा संबंधी पूर्व नियमावली एवं अन्य सभी सम्बन्धित एवं प्रासंगिक परिपत्र/निर्णय एतद द्वारा निरसित किये जाते है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त नियमावली के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत थी जिस तिथि को ऐसा कुछ किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

अनुसूची–1

बिहार पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा की विभिन्न कोटि के पदों का विवरण :–

क. संग्रहालय निदेशालय :

(क) मूल कोटि का पद

क्र.	**पदनाम**
1.	2
1.	सहायक संग्रहालयाध्यक्ष/शोध एवं प्रकाशन पदाधिकारी/सहायक निदेशक
(ख) प्रोन्नति का प्रथम स्तर	
क्र.	पदनाम
2.	क्षेत्रीय उप–निदेशक/ संग्रहालयाध्यक्ष, पटना संग्रहालय
(ग) प्रोन्नति का द्वितीय स्तर	
क्र.	पदनाम
3.	अपर निदेशक
(घ) प्रोन्नति का तृतीय स्तर	
क्र.	पदनाम
4.	निदेशक, संग्रहालय

ख. पुरातत्व निदेशालय :

(क) मूल कोटि का पद

क्र.	पदनाम
1.	2
1	अन्वेषण एवं उत्खनन पदाधिकारी/ सहायक निदेशक/संरक्षण पदाधिकारी
(ख) प्रोन्नति का प्रथम स्तर	
क्र.	**पदनाम**
2	उप–निदेशक/क्षेत्रीय उप–निदेशक
(ग) प्रोन्नति का द्वितीय स्तर	
क्र.	**पदनाम**
3	अपर निदेशक पुरातत्व
(घ) प्रोन्नति का तृतीय स्तर	
क्र.	**पदनाम**
4.	निदेशक, पुरातत्व

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अशोक कुमार मल्लिक,
सरकार के अपर सचिव।

The 11th July 2014

No. 1/प.5–01/2010–792— By utilising the power conferred by the proviso of the Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar, in order to regulate the recruitment and service conditions of the Bihar Archaeology and Museum Service, hereby frames the following rules:-

Bihar State Archaeology & Museum Service Rules, 2014

Chapter-1

Preliminary

1. **Short title, extent and commencement** (1) **-** These rules may be called the Bihar State Archaeology and Museum Service Rules 2014.
   2. It shall extend to the whole of the State of Bihar
   3. It shall come in to force at once.
2. **Definitions, In these rules, unless otherwise requires in the context -**
   (i) "State Government" means the Government of Bihar.
   (ii) "Governor" means the Governor of Bihar.
   (iii) " Department" means the Department of Art, Culture and Youth.
   (iv) "Commission" means the Bihar Public Service Commission.
   (v) "Appointing Authority" means the Government of Bihar.
   (vi) "Controlling Authority" means the Department of Art, Culture and Youth.
   (vii) "Directorate" means the Directorate of Archaeology and the Directorate of Museums, Bihar.
   (viii) "Service" means Bihar Archaeology Service under the Directorate of Archaeology and Bihar Museum Service under the Directorate of Museums.
   (ix) "Member" means a person appointed in the Bihar Archaeology Service or Bihar Museum Service.
   (x) "Seniority list" means the seniority list to be prepared for the Bihar Archaeology Service of the Directorate of Archaeology and Bihar Museum Service under the Directorate of Museums.

(xi) "Probationary officer" means the new recruited officer under training appointed against the permanent post in the basic category of the Bihar Archaeology Service and the Bihar Museum Service.

(xii) "Subordinate Service" means the service of the Senior Technical Assistant/ Technical Assistant/ Gallery Assistant/ Research Assistant/ Guide/ Numismatist / (Subordinate Service Officer) appointed in the headquarters of the Directorate of Archaeology and in the headquarters and regional offices of the Directorate of Museums, under the Department of Art, Culture and Youth, Bihar.

3. Constitution of the service – (1) This service shall be the state service under the administrative control of the Department of Art, Culture and Youth.

2. Posts of different category of this service shall be as per the schedule-I and the pay scales of the said posts shall be the same as may be determined by the government, from time to time.

3. The government shall determine the strength and the designation of the different categories of this service by publishment of the notification in the official gazette and sanction the creation and deletion of the permanent/temporary posts in this service.

4. The officers already appointed and working to the posts mentioned in the schedule shall be considered automatically as the members of this service from the date of commencement of these rules.

Chapter-2
Recruitment

4. Source of recruitment:-The recruitment into this service, unless otherwise provided shall be as follow:-

(a) By direct recruitment according to the provisions of the chapter-3 of these rules.

(b) By promotion according to the provisions of Chapter-4 of these rules.

5. Reservation:- For the appointment and promotion in this service provisions of the reservation Act prescribed by the state government from time to time shall apply.

6. Determination of vacancies and intimation to the commission:- The administrative department shall determine the number of vacancies to be filled up by the direct appointment every year on the 1st of April and shall send the requisition by 30th of April. If any action to send requisition or to fill up the post by direct appointment is not taken there after also year wise calculation of the of the post to be fill up by direct appointment will be made and it shall be carried forward for the next year treating to be vacancies of last year.

Chapter-3
Direct Recruitment

7. Source of the direct recruitment:- 75% vacancy of the category of the basic shall be filled by the direct recruitment.

8. Qualifications for the direct recruitment:- (1) Age of the candidate- The minimum age shall be 21 years and the maximum age shall be the same as may determine by the General Administrative Department of the State Government.

(2) Minimum educational qualification of the candidates:- Essential qualification:- The post graduate degree in the Ancient Indian History and Culture/Archaeology or Ancient Indian and Asiatic Studies/Ancient Indian History and Art History, post graduate diploma in Museology/post graduate diploma in Archaeology with minimum 55% marks.

9. **Basis of selection:-**The posts of the basic category of this service shall be filled by the Commission through examination/interview in the light of the requisition made by the department.

10. **Subjects and syllabus of examination:-** The subjects and syllabus for the examination/interview to be conducted by the Commission and the essential and desirable eligibilities as per the subject will be determined by the department in consultation with the Commission.

11. **Medical examination:-** Each candidate selected for the appointment shall have to undergo the medical examination before a Medical Board constituted by the state government. Those candidate who will fail to satisfy the medical board, with regard to his/her physical fitness as required by effective execution of the duties supposed to be undertaken by him shall not be appointed. The Medical Board will itself formulate objective criterion for this purpose.

12. **Recommendation of the candidates by the Commission:- (1)** The Commission shall prepare a merit list of the candidates on the basis of the marks obtained in the written examination and the interview. Out of the list so prepared, the Commission shall recommend only such number of candidates as requisitioned against the vacancies. In case of any candidate not joining the service that the name of the other candidate from the list can be recommended as per the order of the merit list.

(2) The merit list received from the Commission shall be valid only for one year from the date of its receipt in the department.

Chapter-4

13. **Source of recruitment by promotion:-** (1) 25% post of basic category of this service shall be filled by the promotion of the employees appointed and working to the post of Senior Technical Assistant/Technical Assistant/Gallery Assistant, Guide Numismatist (Subordinate Service Officer) appointed in the Directorate of Archaeology and headquarters and regional offices of the Directorate of Museum under the Department of Art, Culture and Youth, Bihar. In view of the recommendation made on the basis of seniority-cum-merit list, by the departmental promotion Committee constituted under the Chairmanship of the Chairman/ Member the Bihar Public Service Commission.

(2) With the implementation of these rules The member of this service already directly appointed to the higher post different from the basic category of the service shall be deemed to be posted/basically to the concerned posts.

(3) Promotion of the non-gazetted officers (Subordinate Museum Service and Subordinate Archaeology Service) to the gazetted posts of this service shall be filled according to the provisions of the rule 7(l) of the Bihar Public Service Commission*(Karyasiman)* regulation on the basis of recommendation of the Commission.

14. **Promotion to the higher posts:-** The posts of promotion to the first category, the second category and the third category (Director, Archaeology /Director, Museums) shall be cadre posts and the appointment to these posts shall be made according to the seniority of the officials by promotion pay scales of which shall be determined on the basis of the post /designation by the Finance Department:

Provided that in absence of the minimum "Kalawadhi" and competent officers, the government may appointment to the post of Director Archaeology/Director, Museums, Bihar by direct recruitment for which qualifications, experience and eligibilities shall be as follows:-

(i) Degree of post-graduation with minimum 55% marks in the Ancient Indian History and Culture/Archaeology or Ancient Indian and Asiatic Studies/Ancient Indian History and History of Art.

(ii) Minimum 15 years' working experience on the gazetted cadre post of museum or archaeology at any office of archaeology or museum.

15. kalawadhi for promotion:- The minimum "kalawadhi" for the promotion shall be determined in accordance with the rules issued by the General Administration Department. All the posts shall be the cadre posts and shall be filled by promotion.

16. The Departmental Promotion Committee:- On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the promotion shall be considered. The Departmental Promotion Committee shall be constituted separately as per the resolutions/circulars issued from time to time by the General Administrative Department. For the promotion to the highest pay scale, the Departmental Promotion Committee shall be constituted in the chairmanship of the Chairman of the Bihar Public Service Commission or a member nominated by him, not below the rank of Deputy Secretary.

17. Seniority:- (1) The seniority of the employees appointed by direct recruitment shall be determined on the basis merit list prepared by the commission according to the serial number.

(2) Any member of this service appointed on the basis of promotion from the basic grade shall be senior to any person appointed by direct recruitment in the same year, however the process of the appointment has been already completed.

18. Probation period:- (1) Every officer appointed against the basic post shall remain on probation up to the period of 2 years from the date of joining of post.

(2) The government may terminate the appointment of any officer recruited in this service during his probation period or at the time of its expiry if the officer is found not fit for the appointment for any reasons.

(3) The syllabus for the training shall be framed in consultation with the Administrative Training Institute and every trainee will have to obtain prescribed essential training in the different departments.

(4) The Departmental Examination will be conducted in accordance with the Rules for Departmental Examination of Gazetted Officers, 1961 by the Central Examination Committee (Board of Revenue).

(5) The confirmation, annual increment and promotion to the member of the service shall be admissible only after the passing of the departmental examination, but this will not be applicable to such members as have been in the service before the implementation of the rules.

19. Confirmation:- The Confirmation of the officers of this service shall be made effective after the fulfilment of the following conditions:-

(i) To complete the probationary period successfully.

(ii) To obtain training from such institutions as conducted/directed by the department.

(iii) Passing of the Departmental Examination conducted by the Board of Revenue in all the subjects determined for this service (Service rules and Account and Hindi).

Chapter-5
General/ Miscellaneous

20. Contract with regard to the scope of work:- The government shall have power to appoint or depute any member of this service to even any non-cadre post, which is in conformity with his qualification.

21. Miscellaneous :- The service conditions, salary, allowance, leaves, pension and other conditions of this service shall be determined in view of the Bihar Service Code and Bihar Pension Rules.

22. Training:- Any member of this service may be sent for the training for a stipulated period in or outside the state.

23. The other service conditions:- Other conditions and disciplinary actions, leave, admissible pension benefits, etc. for these service which are not covered by these rules or which are not notified separately for these services shall be governed by the provisions of the relevant rules for the offices of the state government.

24. Removal of difficulty:- The government may remove any difficulty coming in implementation of any rule of these rules, by notification, which is not in consistent of the provisions of these rules.

25. Repeal and saving:- (1) All earlier rules relating to Bihar State Archaeology and Museum Service and all other related and relevant circulars/decisions are hereby repealed.

(2) Not with standing of such repeal, any thing done or any action taken under the said rules, shall be deemed to be done or taken under these rules, as if these were effective on the date on which such thing was done or such action was taken.

Annex-I

Details of posts of various categories under Bihar Archaeology Service & Bihar Museum Service.

A. Directorate of Museums: (Post of Basic Category)

S.N.	Designation
A. Basic Category	
1.	Assistant Curator/Research and Publication Officer/Assistant Director
B. First Stage of Promotion	
2.	Regional Deputy Director/Curator, Patna Museum
C. Second State of Promotion	
3.	Additional Director
D. Third State of Promotion	
4.	Director, Museums

B. Directorate of Archaeology: (Post of Basic Category)

S.N.	Designation
A. Basic Category	
1.	Exploration and Excavation Officer/Assistant Director/Conservation Officer
B. First Stage of Promotion	
2.	Deputy Director/ Regional Deputy Director

C. Second State of Promotion	
3.	Additional Director
D. Third State of Promotion	
4.	Director, Archaeology

By order of the Governor of Bihar,
ASHOK KUMAR MALLICK,
Additional Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 598-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in